

पीठासीन अधिकारी
प्रार्थना पत्र संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री रामकुमार टाडा आर.ए.एस.

06 / 2024

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन

..प्रार्थी

बनाम

कैलाशदान चारण पुत्र खींवदान चारण निवासी कुडकी तहसील जैतारण जिला ब्यावर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री राम किशोर - सरकार परोकार

-: निर्णय :- दिनांक 12.04.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन के चौसाला जमाबर्दी संवत 2065-68 के खाता संख्या 370 के खसरा संख्या 2963 कैलाशदान चारण व धन्नाराम कुमावत व खसरा संख्या 2963/6851 की आराजी मेधाराम देवासी व खसरा संख्या 2963/6872 समर्पण से सिवायचक अंकित थे। जिनकी आफलाईन नक्शे में तरमीम सही थी लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान आनलाईन नक्शे में तरमीम करते समय खसरा संख्या 2963 व 2963/6872 को विपरित व 2963/6851 के स्थान पर नक्शा व जमाबंदी में 2963/7376 अंकित कर दिये जो सही नहीं है। अतः पटवारी हल्का पीसागंन व भू.अ. निरीक्षक पीसागंन की रिपोर्ट एवं आवासीय भूमि के खातेदारों की सहमति पत्र, पूर्व में तरमीम किये गये नक्शे व उक्त खसरा नम्बरों का जमाबर्दी में दर्ज रकबे के अनुसार वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 2963 के स्थान पर 2963/6872 एवं खसरा संख्या 2963/6872 के स्थान पर 2963 व 2963/7376 के स्थान पर 2963/6851 तरमीम किया जाना व खाता संख्या 1497 में खसरा संख्या 2963/7376 के स्थान पर 2963/6851 जमाबर्दी में दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एवं पटवार हल्का पीसागंन, भू.अ. निरीक्षक पीसागंन एवं तहसीलदार पीसागंन की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन के वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 2963 के स्थान पर 2963/6872 एवं खसरा संख्या 2963/6872 के स्थान पर 2963 व 2963/7376 के स्थान पर 2963/6851 तरमीम किया जाना व खाता संख्या 1497 में खसरा संख्या 2963/7376 के स्थान पर 2963/6851 जमाबर्दी में दुरुस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पदेन सहायक कलेक्टर
पीसागंन